रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2016/श्रावण 31, 1938
No. 332] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2016/SRAVANA 31, 1938

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

अभातशिप (स्वयं के माध्यम से ऑनलाईन अधिगम पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट (ढांचा) (फ्रेमवर्क) विनियम, 2016

फा. सं. अभातशिप/पी और एपी/स्वयं/2016.—1. **उद्देश्यिका** :

1.1 यतः शिक्षा को उच्चतर शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाना है और प्रौद्योगिकीय प्रगति का प्रयोग करते हुए इसकी लागत को कम करना है।

1.2 यतः व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पारंपरिक और ऑनलाईन शिक्षा का प्रयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवहार्य मॉडल के रूप में उभरा है।

1.3 यतः अधिगम के एक स्वदेशी प्लेटफार्म पर **स्वयं** (युवा और महत्वांकाक्षी मेधावियों द्वारा सक्रिय अधिगम का अध्ययन वेब) नामक ऑनलाईन अधिगम के भारतीय संस्करण का शुभारंभ किया जा रहा है।

1.4 यतः एक विशिष्ट विषय–वस्तु वितरण तंत्र विकसित करने के लिए, जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हैं और समस्त भौगोलिक सीमाओं में ज्ञान का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित करता है, ई–शिक्षण के कभी भी–कहीं भी (प्रारूप) तथा पारंपरिक कक्षा आधारित चॉक एवं व्याख्यान पद्धति की मुख्य विशेषताओं के बीच अभिक्रियाएं सृजित करने की आवश्यकता है।

1.5 यतः एक ऐसा विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, जो ऑनलाईन शिक्षण और नियमित कक्षा अधिगम के बीच निर्बाध संपर्क प्रदर्शित करे।

अतः, अब :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (ञ) और (पांच) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (आई) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् (Sub-Section (i) of Section 23 read with Section 10 (i) and (v))

2. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :

2.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) (स्वयं के माध्यम से ऑनलाईन अधिगम पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट (ढांचा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

2.2 ये किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा समाविष्ट सभी तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों तथा ऐसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई अथवा उनसे संबद्ध सभी संस्थाओं तथा (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे।

2.3 ये ऐसे छात्रों के क्रेडिटों के अंतरण पर भी लागू होंगे जो भारत में किसी शैक्षिक संस्था में नियमित/अंशकालिक छात्रों के रूप में नामांकित हैं।

ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. परिभाषाएं :

3.1 'शिक्षा परिषद्' ऐसा निकाय है जो किसी संस्था में समस्त शैक्षणिक मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त है, जिसमें **स्वयं** के माध्यम से ऑनलाईन अधिगम पाठ्यक्रमों को अनुमति प्रदान करने के बारे में निर्णय भी शामिल हैं।

3.2 'पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है ऐसा पत्र पेपर जो किसी विषय के भाग के रूप में कम–से–कम एक छमाही (सेमेस्टर) के लिए पढ़ाया जाता है।

3.3 'चार चरणीय दृष्टिकोण' : चार चरणीय दृष्टिकोण से अभिप्रेत है ऐसी ई–शिक्षण प्रणाली जिसके निम्नलिखित अवयव हैं :

- **चरण–I** ई–शिक्षण हैः जिसमें एक संगठित स्वरूप में वीडियो और ऑडियो विषय–वस्तु, एनीमेशन, अनुकरण, वास्तविक प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
- **चरण–II** ई–विषय–वस्तु है : जिसमें जहाँ कहीं आवश्यक हों, पीडीएफ/ई–पुस्तकें/इलस्ट्रेशन, वीडियो प्रदर्शन, दस्तावेज और सहक्रियात्मक अनुकरण शामिल हैं।
- **चरण–III** वेब संसाधन है : जिसमें संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त विषय–वस्तु, मामला अध्ययन, ज्ञानवर्धक जानकारी, विषय का ऐतिहासिक विकास, लेख शामिल हैं।
- **चरण–IV** स्व–मूल्यांकन है : जिसमें बहु–विकल्प प्रश्न, प्रश्नोत्तरियां, दत्त–कार्य और उनके हल, विषयों पर चर्चा तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न निर्धारित करना, सामान्य भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण शामिल हैं।

3.4 'मेजबान संस्था' का अर्थ है विनियमन प्राधिकारी द्वारा समयक रूप से मान्यताप्राप्त/अनुमोदित संस्था जिससे पाठ्यक्रम चलाने करने वाला पीआई/एसएमई संबंधित है।

3.5 'संस्था' से अभिप्रेत है भारत में (रजिस्ट्रीकृत) पंजीकृत तथा कार्य कर रही कोई शैक्षक संस्था।

3.6 'एमओओसी' : व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (एमओओसी) ऐसे ऑनलाईन पाठ्यक्रम हैं जिन्हें चार चरणीय दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए उनमें वर्णित किए गए शिक्षा शास्त्र के अनुसार विकसित किया गया है ; तथा भारत सरकार के स्वयं प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया गया है।

3.7 'एमओओसी दिशा निर्देश' : से अभिप्रेत है मानव संसाधन किास मंत्रालय द्वारा ऑनलाईन षिक्षण पर उसके दिनांक 11 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पश्चात्वर्ती युक्तिाएं।

3.8 'राष्ट्रीय एमओओसी समन्वयक' : (एनएमसी) सरकार द्वारा ऑनलाईन पाठ्यक्रमों के निर्माण का समन्वयक करने तथा शिक्षण के किसी अभिहित क्षेत्र में उनकी गुणवत्ता का अनुश्रवण करने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार अभिहित की गई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी।

3.9 'मूल संस्था' : से अभिप्रेत है वह संस्था/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जहाँ छात्र एक नियमित/अंशकालिक छात्र के रूप में नामांकित हुआ है।

3.10 'प्रधान अन्वेषक (पीआई)' : पीआई विषय–वस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) होगा जो किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था से संबंधित होगा, जिसकी एनएमसी द्वारा इस रूप में पहचान की गई है तथा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में उसे एमओओसी को विकसित और वितरित करने का कार्य सौंपा गया है।

3.11 'सेक्टर' : से अभिप्रेत है शिक्षण का कोई विशे स्तर जैसे उच्च विद्यालय इंजीनियरी/गैर–इंजीनियरी डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर शिक्षा।

3.12 'विषय' : से अभिप्रेत है किसी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाए जाने वाले विषयक्षेत्र/शाखा (अर्थात् सिविल इंजीनियरी, वास्तुकला, भेषजी आदि) जिसमें विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम अंतर्विष्ट है जिनके फलस्वरूप सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होनी है।

3.13 '**स्वयं** मंच (प्लेटफार्म') : ऐसा आईटी मंच (प्लेटफार्म) है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमओओसी पैटर्न पर ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विकसित किया गया है और कार्यात्मक बनाया गया है।

4. ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रम :

4.1 ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रम स्वयं प्लेटफार्म पर राष्ट्रीय एमओओसी समन्वयक द्वारा उनके द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए कार्यक्रम के अनुसार उनकी संस्था के माध्यम से पहचान किए गए पीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.2 स्वयं सभी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों को प्रत्येक वर्ष 1 जून और 1 नवम्बर को आगामी छमाही (सेमेस्टर) में उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची अधिसूचित करेगा।

4.3 सभी संस्थाएं, स्वयं द्वारा अधिसूचना की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर, अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रमों पर विचार करेंगी तथा उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेंगी जिनकी अनुमति वे क्रेडिट अंतरण के लिए प्रदान करना चाहती हैं :

पंरतु यह कि कोई संस्था स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाईन अधिगम पाठ्यक्रमों द्वारा छमाही (सेमेस्टर) में किसी विशे कार्यक्रम में प्रदान किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 20 प्रतिशत तक की अनुमति दे सकेगी।

4.4 निर्णय लेते समय, शैक्षणिक परिषद्, अन्य बातों के साथ–साथ स्वयं के ऑनलाईन पाठ्यक्रमों को अनुमति देने पर विचार कर सकेगी, यदि :

क) संस्था में पाठ्यक्रम को चलाने के लिए उपयुक्त शिक्षण स्टॉफ की उपलब्धता नहीं है, अथवा

ख) छात्रों द्वारा इच्छित पत्रों (पाठ्यक्रमों) को उपलब्ध कराने के लिए मांगी गई सुविधाएं संस्था में उपलब्ध नहीं हैं, परंतु स्वयं प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।

ग) स्वयं में उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम संस्था में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अनुपूरित करते हैं।

4.5 किसी विशेष पत्र (पाठ्यक्रम) को उपलब्ध कराने वाली संस्था की पाठशाला में प्रत्येक छात्र से अपेक्षित होगा कि वह उस पाठ्यक्रम/पत्र के लिए एमओओसी हेतु रजिस्टर करें।

4.6 स्वयं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाए कि भौतिक सुविधाएं जैसे प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि, जो पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए अनिवार्य हैं, मूल संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

4.7 मूल संस्था को पाठ्यक्रम की समूची अवधि के दौरान छात्रों का मार्गदर्शन करने तथा अनुमोदित संस्थाओं में प्रयोगशाला/प्रयोग सत्रों/परीक्षाओं को सुकर बनाने/संचालित करने के लिए एक पाठ्यक्रम समन्वयक/सहयोगकर्ता अवश्य अभिहित करना होगा।

5. एमओओसी का मूल्यांकन और प्रमाणन

5.1 मेजबान संस्था तथा पीआई उनके द्वारा आरंभ किए गए एमओओसी पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.2 मूल्यांकन पूर्व–परिभाषित मानदण्डों और मापदण्डों पर आधारित होगा तथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों जैसे चर्चाओं, प्ररूपों, प्रश्नोत्तरियों, दत्त–कार्यों, सत्रीय परीक्षाओं और अंतिम परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम की समूची अवधि के दौरान किए जाने वाले पूर्वनिर्धारित मूल्यांकन पर आधारित होगा।

5.3 जबकि ऑनलाईन परीक्षा को प्राथमिकता वाला माध्यम माना जाएगा, पीआई अंतिम परीक्षा संचालित करने के तरीके पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत होगा। इसकी घोषणा पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने के समय पाठ्यक्रम के पूर्वावलोकन में की जाएगी।

5.4 यदि पैन–पेपर द्वारा अंतिम परीक्षा संचालित की जाती है, इसे किसी ऐसे महाविद्यालय/विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसे संचालित करने के लिए स्वयं इच्छा व्यक्त करता है। इस संबंध में निर्णय पीआई तथा मेजबान संस्था द्वारा लिया जाएगा।

5.5 परीक्षा के संचालन तथा मूल्यांकन के संकलन के उपरांत, पीआई मेजबान संस्था के माध्यम से घोषित मूल्यांकन योजना (स्कीम) के अनुसार (अंक) ग्रेड प्रदान करेगा।

5.6 छात्रों तथा छात्र की मूल संस्था को अंतिम अंक/ग्रेड अंतिम परीक्षा की समाप्ति की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर सूचित किए जाएंगे।

5.7 मूल संस्था छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों/ग्रेड को, जिन्हें, मेजबान संस्था द्वारा स्वयं पाठ्यक्रम के पीआई के माध्यम से सूचित किया गया है, छात्र की अंक तालिका में समाविष्ट करेगा जिसकी गणना विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री/डिप्लोमा के अंतिम रूप से प्रदान करने के लिए की जाएगी, जिसमें यह परंतुक है कि उस कार्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला/प्रयोग का अवयव शामिल है, मूल संस्था प्रयोग/प्रयोगशाला अवयव के लिए छात्र का मूल्यांकन करेगी तथा तद्नुसार इन अंकों/ग्रेड को समग्र अंकों/ग्रेड में समाविष्ट करेगी।

5.8 एमओओसी पाठ्यक्रम की सफल समाप्ति के बारे में प्रमाण–पत्र पीआई द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा मेजबान संस्था के माध्यम से जारी किया जाएगा और मूल संस्था को भेजा जाएगा।

6. एमओओसी की क्रेडिट संचलनता

6.1 मूल संस्था स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से कार्यक्रम की क्रेडिट योजना में ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित किए गए क्रेडिटों के लिए समकक्ष क्रेडिट वेटेज प्रदान करेगी।

6.2 कोई भी संस्था/विश्वविद्यालय एमओओसी के माध्यम से अर्जित किए गए पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट संचलनता के लिए किसी छात्र को इंकार नहीं करेगा।

7. एमओओसी के निर्बाध एकीकरण के लिए विश्वविद्यालय नियमों और विनियमों में अपेक्षित संशोधन

7.1 तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था/विश्वविद्यालय इन विनियमों के जारी किए जाने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से उनके अध्यादेशों, नियमों, विनियमों आदि में इन विनियमों के उपबंध समाविष्ट करने के लिए अपेक्षित संशोधन के विषय में निर्णय लेगी।

8. संक्रमणकारक उपाय

8.1 अभातशिप तीन वर्ष की संक्रमण अवधि के दौरान इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाले किन्हीं मुद्दों का समाधान करने के लिए स्थाई समिति अधिसूचित कर सकेगा।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./217 (162)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2016

AICTE (Credit Framework for online learning course through SWAYAM) Regulations, 2016

F. No. AICTE/P&AP/SWAYAM/2016.—1. Preamble:

1.1 Whereas Education has to widen the access to higher education and bring down its cost by using technological advances.

1.2 Whereas Massive Open Online Course (MOOCs) have emerged as a viable model for imparting education, involving conventional and online education.

1.3 Whereas the Indian version of online learning is being launched on an indigenous platform of learning named as **SWAYAM** (Study Web of Active learning by Young and Aspiring Minds),

1.4 Whereas there is a need to create synergies between the salient features of any time any where format of e-Learning and traditional classroom based chalk and talk method to develop a unique content delivery mechanism which is responsive to learners' needs and ensures seamless transfer of knowledge across geographical boundaries.

1.5 Whereas there is a need to put in place a regulatory mechanism that would show seamless connect between the online learning and the regular class room learning.

Now, therefore:

All India Council for Technical Education in exercise of the powers conferred under sub-Section (i) of Section 23 read with Section 10 (i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), makes the following Regulations, namely:

2. Short title Application and Commencement:

2.1 These Regulations shall be called the AICTE (Credit Frame work for online learning courses through SWAYAM) Regulation 2016.

2.2 These shall apply to all Technical Institutions and Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all intuitions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act 1956, imparting technical education.

2.3 These shall further apply to the transfer of credits of such students who are enrolled as regular/part time students in any educational institution in India.

These shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

3. Definitions:

3.1 'Academic Council' is the body empowered to take decisions regarding all academic matters in an institution including the decision regarding permitting online learning courses through SWAYAM.

3.2 'Course' shall mean a paper which is taught for at least one semester as a part of a subject.

3.3 Four quadrant approach: the four Quadrant approach means e-learning system that has the following components:

- **Quadrant-I** is e-Tutorial: that shall contain: Video and Audio Content in an organized form, Animation, Simulations, Virtual Labs.
- **Quadrant-II** is e-Content: that shall contain: PDF/e-Books/ illustration, video demonstrations, documents and Interactive simulations wherever required.
- **Quadrant-III** is Web Resources: that shall contain: Related Links, Open Content on internet, Case Studies, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles.
- **Quadrant-IV** is Self-Assessment: that shall contain: MCQ, Problems Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQ, Clarifications on general misconceptions.

3.4 'Host Institution' shall mean the institution duly recognized /approved by the regulating authority to which the PI/SME offering the course belongs.

3.5 'Institution' shall mean any academic institution registered and functioning in India.

3.6 'MOOCs': Massive Open Online Courses (MOOCs) are such online courses which are developed as per the pedagogy stated herein; following the four quadrant approach and made available on the SWAYAM platform of Government of India.

3.7 'MOOCs Guidelines' shall mean guidelines on online learning issued by the MHRD vide its orders dated 11th March, 2016 and subsequent addendums issued by the MHRD.

3.8 'National MOOCs Coordinator' (NMC) is a Nation level agency designated as such by the Government, for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality in a designated sector of learning.

3.9 'Parent Institution' shall mean the institution/university/college where the student is enrolled as a regular /part-time student.

3.10 'Principal Investigator (PI)': The PI shall be a Subject Matter Expert (SME) belonging to a reputed educational institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering MOOCs in a given area by the NMC.

3.11 'Sector' shall mean a particular level of learning such as high school engineering/non-engineering diploma/degree/post-graduation.

3.12 'Subject' shall mean a discipline/ branch (e.g. Civil Engineering, Architecture, Pharmacy etc.) taught in an educational institution consisting of specific courses, resulting in awarding of a certificate/diploma/degree.

3.13 'SWAYAM platform' is an IT platform developed and made functional by the Ministry of Human Resource Development of Government of India for the purpose of offering online learning courses on the MOOCs pattern.

4. Online learning courses:

4.1 The online learning courses shall be made available on the SWAYAM platform by the PI identified by the National MOOCs Coordinator through their Institution, as per the schedule finalized by him/her.

4.2 The SWAYAM shall notify to the Registrars of all the Institutions, on 1st June, 1st November every year, the list of the online learning courses going to be offered in the forthcoming Semester.

4.3 All the Institutions shall, within 4 weeks from the date of notification by SWAYAM, consider through their Competent Authority the online learning courses being offered through the SWAYAM platform; and keeping in view their academic requirements, decide upon the courses which it shall permit for credit transfer.

Provided that an Institution can only allow up to 20% of the total courses being offered in a particular program in a Semester through the online learning courses provided through SWAYAM platform.

4.4 While making this decision, the Academic Council may, interalia, consider allowing online courses of SWAYAM if:

a) There is non-availability of suitable teaching staff for running a course in the Institution or

b) The facilities for offering the elective papers (courses), sought for by the students are not on offer in the Institution, but are available on the SWAYAM platform.

c) The courses offered on SWAYAM would supplement the teaching-learning process in the Institution.

4.5 Every student, in the class of the institution, offering a particular paper (course) would be required to register for the MOOCs for that course/paper.

4.6 While allowing the online learning Courses offered by SWAYAM, it shall be ensured that the physical facilities like Laboratories, computer facilities, library etc. essential for pursuing the courses shall be made available free and in adequate measure by the parent institution.

4.7 The parent institution must designate a course coordinator/facilitator to guide the students throughout the course and to facilitate/conduct the Lab/Practical sessions/examinations in Approved Institutions.

5. Evaluation and Certification of MOOCs

5.1 The host institution and the PI shall be responsible for evaluating the students registered for the MOOCs course launched by him/her.

5.2 The evaluation should be based on predefined norms and parameter and shall be based on a comprehensive evaluation throughout the length and breadth of course based on specified instruments like discussions, forms, quizzes, assignments, sessional examinations and final examination.

5.3 Whereas an online examination would be the preferred mode, the PI shall be authorized to decide on the mode of conducting the final examination. This shall be announced in the overview of the Course at the time of offering the course.

5.4 In case, a pen and paper final examination is to be conducted, the same shall be offered through any college/school volunteering to conduct the same. The decision in this respect will be of the PI and the host institution.

5.5 After conduct of the examination and completion of the evaluation, the PI through the host institution shall award marks/grade as per the evaluation scheme announced.

5.6 The final marks/grade shall be communicated to the students as well the parent institution of the student, within 4 weeks from the date of completion of the final examination.

5.7 The parent institution shall, incorporate the marks/grade obtained by the student, as communicated by the Host Institution through the PI of the SWAYAM course in the marks sheet of the student that counts for final award of the degree/diploma by the University with the proviso that the programs in which Lab/Practical Component is involved, the parent institution will evaluate the students for the practical/Lab component and accordingly incorporate these marks/grade in the overall marks/grade.

5.8 A certificate regarding successful completion of the MOOCs course shall be signed by the PI and issued through the Host Institution and sent to the Parent Institution.

6. Credit Mobility of MOOCs

6.1 The parent institution shall give the equivalent credit weightage to the students for the credits earned through online learning courses through SWAYAM platform in the credit plan of the program.

6.2 No Institutions/University shall refuse any student for credit mobility for the courses earned through MOOCs.

7. Amendment required in University Rules and Regulations for Seamless Integration of MOOCs

7.1 Every Institution/University imparting Technical Education shall within 4 weeks from the date of issue of these Regulations, shall decide through their Competent Authority, the amendments required in their Ordinances, Rules, Regulations etc to incorporate provision of these Regulation.

8. Transitory Measures

8.1 The AICTE shall notify a Standing committee to resolve any issues that may arise in the implementation of these regulations during the transition period of three years.

Prof. ALOK PRAKASH MITTAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./217(162)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.24 15:21:08 +05'30'